

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
सूचना पत्र


क्रमांक C/3888 /

जबलपुर, दिनांक 08 / 05 / 2024

रजिस्ट्री सूचना पत्र क्रमांक ए/1833 दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से पूर्व में सभी पंजीकृत लिपिक (Registered Clerk) को परिचय पत्र (Identity Card) बनवाने हेतु जारी किया गया था, किंतु दिनांक 07.05.2024 तक मात्र 271 परिचय पत्र ही पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जारी किये गये हैं।

तत्संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. कं.22873/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के परिपालन में अधिवक्ताओं के सभी पंजीकृत मुंशी (Munshi) को परिचय पत्र (Identity Card) बनवाने हेतु समय सीमा निर्धारित कर 07 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाकर अवसर प्रदान किया गया है।

निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि सभी इच्छुक पंजीकृत मुंशी (Munshi) जिनका परिचय पत्र (Identity Card) बनाया जाना है, वे संलग्न प्रोफार्मा - सी के अनुसार टंकित कराकर उच्च न्यायालय में पदस्थ श्री सैयद फरीदउद्दीन, सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी, प्रोटोकॉल अनुभाग में सूचना पत्र जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करें, इसके पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर नया पंजीकरण नहीं किया जावेगा।


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)


पृष्ठांकन क्रमांक C/3836 /

जबलपुर, दिनांक 08 / 05 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/सचिव, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर,
2. अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ता लिपिक एसोसिएशन, जबलपुर, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न :-1. प्रोफार्मा - सी


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

